



# बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

**Bihar State Power (Holding) Company Limited**

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: 1<sup>st</sup> Floor, Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TIN VAT No.-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495

Website: www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF GENERAL ADMINISTRATION

कार्यालय आदेश संख्या...**1557**...../पटना,  
H-II/Misc-अग्रिम वेतन वृद्धि-8031/2015

दिनांक-**29.8.18**...../

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 78 (a) (i) के आलोक में निम्न पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन संरक्षित करने का पारित आदेश एवं तीन अग्रिम वृद्धि प्राप्त कर्मियों द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन संरक्षित करने हेतु समर्पित अभ्यावेदनों तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-2019/2018 राम विनोद सिंह बनाम बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड में होल्डिंग कम्पनी के स्टैंडिंग काउन्सिल से प्राप्त विधिक मंतव्य के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के आदेश संख्या-433 दिनांक-07.04.2017 को निम्नांकित हद तक संशोधित किया जाता है :-

1. वर्ष 2000 के पूर्व नियुक्त कामगार, जो पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी ओदश संख्या-869 दिनांक-07.10.2009 के अस्तित्व में आने के पूर्व पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी आदेश संख्या-285 दिनांक-04.06.1060 एवं स्थायी आदेश संख्या-385 दिनांक-22.03.1973 के प्रावधान के तहत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप तीन अग्रिम वेतन प्राप्त कर्मियों (कार्यरत/सेवा निवृत्ति) को उच्चतर पद यथा प्रधान लिपिक/लेखा सहायक के पद पर प्रोन्नति के उपरांत पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी आदेश संख्या-401 दिनांक-05.11.1973 के आलोक में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि वापस कर लिया जाएगा एवं प्रोन्नति लाभ देने के उपरांत यदि वेतन निम्न पद पर प्राप्त वेतन से कम हो जाता है, उस स्थिति में बिहार सेवा संहिता के नियम 78 (a) (i) में निहित प्रावधान में उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

2. वर्ष 2000 एवं उसके बाद नियुक्त कामगार, जो पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी ओदश संख्या-869 दिनांक-07.10.2009 के अस्तित्व में आने के पूर्व पूर्ववर्ती बोर्ड के स्थायी ओदश संख्या-285 दिनांक-04.06.1969 एवं स्थायी आदेश संख्या-385 दिनांक-22.03.1973 के प्रावधान के तहत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के आदेश संख्या-433 दिनांक-07.04.2017 में निहित प्रावधान पूर्ववत् लागू होंगे।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के आदेश से,

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक-...../पटना,

दिनांक-...../

प्रतिलिपि: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्यपदाधिकारी/ तकनीकी सचिव/प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक-...../पटना,

दिनांक-...../

प्रतिलिपि: सभी महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उपमहाप्रबंधक-सह-विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता/ सभी विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता/सभी उपमहाप्रबन्धक (मा0 सं0/प्रशा0)/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0 सं0/प्रशा0)/ सभी वरीय प्रबंधक/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/सभी विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता/सभी सहायक विद्युत् अभियन्ता/किम्पनी सचिव/सभी विधि पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक-...../पटना,

दिनांक-...../

प्रतिलिपि: उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना को कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(सुनील कुमार सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)

29.08.18